

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2017-18/9725-9 दिनांक 15/12/2017

विषय-मेडिकल कालेजों में संचालित एस०एन०सी०यू० में कार्यरत संविदा मानव संसाधन को एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2017-18/5244-10, दिनांक 25/08/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, संविदा मानव संसाधन के मानदेय एवं एस०एन०सी०यू० डाटा मैनेजमेन्ट हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुमोदित सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में पूर्व से कार्यरत संविदा मानव संसाधन को एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर) हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- FMR Code-B.30.9.3 पर मेडिकल कालेजों संचालित एस०एन०सी०यू० में पूर्व से कार्यरत 72 स्टाफ नर्सों को नियमानुसार एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- FMR Code-B.30.9.4 पर मेडिकल कालेजों में संचालित एस०एन०सी०यू० में पूर्व से कार्यरत 09 डाटा इन्ट्री आपरेटर को नियमानुसार एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

मानव संसाधन को 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि हेतु धनराशि-

District wise 5% increment Funds contractual staff for SNCU 2017-18								
Mission Flexipool								
S. N.	Name of District	S. N.	Name of SNCU Unit	Staff Nurse		Data Entry Operator		Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
				No	Amount	No	Amount	
				Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/months	5% Increment of Staff Nurse for 12 months	DEO Honorarium @ Rs.12000/months	5% Increment of DEO for 12 months	
FMR Code				B.30.9.3		B.30.9.4		
1	Agra	1	SN Medical College Agra	8	96058	1	7200	103258
2	Aligarh	2	JN Medical College AMU Aligarh	8	96058	1	7200	103258
3	Allahabad	3	MLN Medical College Allahabad	8	96058	1	7200	103258
4	Etawah	4	UPUMS Safai Etawah	8	96058	1	7200	103258
5	Gorakhpur	5	BRD Medical College Gorakhpur	8	96058	1	7200	103258
6	Jhansi	6	MLB Medical College Jhansi	8	96058	1	7200	103258
7	Kanpur Nagar	7	GSVM, Medical College Kanpur	8	96058	1	7200	103258
8	Lucknow	8	KG MU Lucknow	8	96058	1	7200	103258
9	Meerut	9	LLRM Medical College Meerut	8	96058	1	7200	103258
Grand Total (in Rs.)				72	864522	9	64800	929322

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवमुक्त की जा रही धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

Ma

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में एस0एन0सी0यू0 के जिन संविदा मानव संसाधन हेतु पुनरीक्षित दर के अनुसार स्वीकृत मानदेय उन संविदा कर्मियों को 01 अप्रैल 2017 से अब तक किये गए भुगतान पर 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एरियर (Arrears) का नियमानुसार कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

एस0एन0सी0यू0 का व्यय विवरण जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एच0एच0एम0 तथा कार्यक्रम अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, एच0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017-18/

दिनांक /10/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवार्यें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. कुलपति, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य, एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ
9. विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0, एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज ए0एम0यू0 अलीगढ़/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज कानपुर/किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ एवं एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. ऑफिसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)

महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2017-18/

दिनांक 15/12/2017

विषय-मेडिकल कालेजों में संचालित एस०एन०सी०यू० में कार्यरत संविदा मानव संसाधन को एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2017-18/5244-10, दिनांक 25/08/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, संविदा मानव संसाधन के मानदेय एवं एस०एन०सी०यू० डाटा मैनेजमेन्ट हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुमोदित सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में पूर्व से कार्यरत संविदा मानव संसाधन को एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर) हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- FMR Code-B.30.9.3 पर मेडिकल कालेजों संचालित एस०एन०सी०यू० में पूर्व से कार्यरत 72 स्टाफ नर्सों को नियमानुसार एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- FMR Code-B.30.9.4 पर मेडिकल कालेजों में संचालित एस०एन०सी०यू० में पूर्व से कार्यरत 09 डाटा इन्ट्री आपरेटर को नियमानुसार एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

मानव संसाधन को 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि हेतु धनराशि-

District wise 5% increment Funds contractual staff for SNCU 2017-18								
Mission Flexipool								
S. N.	Name of District	S. N.	Name of SNCU Unit	Staff Nurse		Data Entry Operator		Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
				No	Amount	No	Amount	
				Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/months	5% Increment of Staff Nurse for 12 months	DEO Honorarium @ Rs.12000/months	5% Increment of DEO for 12 months	
FMR Code				B.30.9.3		B.30.9.4		
1	Agra	1	SN Medical College Agra	8	96058	1	7200	103258
2	Aligarh	2	JN Medical College AMU Aligarh	8	96058	1	7200	103258
3	Allahabad	3	MLN Medical College Allahabad	8	96058	1	7200	103258
4	Etawah	4	UPUMS Safai Etawah	8	96058	1	7200	103258
5	Gorakhpur	5	BRD Medical College Gorakhpur	8	96058	1	7200	103258
6	Jhansi	6	MLB Medical College Jhansi	8	96058	1	7200	103258
7	Kanpur Nagar	7	GSVM, Medical College Kanpur	8	96058	1	7200	103258
8	Lucknow	8	KGMU Lucknow	8	96058	1	7200	103258
9	Meerut	9	LLRM Medical College Meerut	8	96058	1	7200	103258
Grand Total (in Rs.)				72	864522	9	64800	929322

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवमुक्त की जा रही धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में एस0एन0सी0यू0 के जिन संविदा मानव संसाधन हेतु पुनरीक्षित दर के अनुसार स्वीकृत मानदेय उन संविदा कर्मियों को 01 अप्रैल 2017 से अब तक किये गए भुगतान पर 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एरियर (Arrears) का नियमानुसार कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

एस0एन0सी0यू0 का व्यय विवरण जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एच0एच0एम0 तथा कार्यक्रम अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, एच0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017-18/9725-9-11 दिनांक 15/12/2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. कुलपति, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य, एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉंसी/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ।
9. विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0, एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज ए0एम0यू0 अलीगढ़/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉंसी/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज कानपुर/किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ एवं एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य